



पत्रांक-1134

/सिमडेगा, दिनांक- 10/10/2026

प्रेषक,

अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी,
सिमडेगा।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
सिमडेगा।

विषय :- मानदेय / दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर फसल रक्षक (कामदार) के पर नियुक्ति हेतु सूचना एवं आवेदन पत्र जिले के अधिकारिक वेबसाईट- www.simdega.nic.in पर **Upload** करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2996 दिनांक-22.07.2026 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में मानदेय / दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर फसल रक्षक (कामदार) के पर नियुक्ति हेतु सूचना एवं आवेदन पत्र अधिकारिक वेबसाईट- www.simdega.nic.in पर **Upload** करने हेतु Hard Copy एवं Soft Copy पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा है।

अतः अनुरोध है कि नियुक्ति हेतु सूचना एवं आवेदन पत्र जिले के अधिकारिक वेबसाईट- www.simdega.nic.in पर **Upload** करने की कृपा की जाय साथ ही इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/10/26

अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी,

सिमडेगा।

मो.सं- 8658660488

कार्ग- 7979041303



कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

झारखण्ड सरकार

कार्यालय / OFFICE

अनुमण्डल-सह- जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा, कार्यालय / OFFICE
SUBDIVISIONAL-CUM-DISTRICT AGRICULTURE OFFICER, SIMDEGA
EMAIL ID- simdegaagriculture@gmail.com, simdegaagriculture@gmail.com



विज्ञापन संख्या-01/2026-2027

वित्तीय वर्ष-2026-27 में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के राज्यादेश संख्या-03 दिनांक-23.05.2026, कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक-1909 दिनांक-23.04.2026 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-1617 दिनांक-17.03.2023 के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु सिमडेगा जिला अन्तर्गत प्रत्येक पौधा संरक्षण केन्द्र (Plant Protection Center) में स्वीकृत पदों के विरुद्ध मानदेय / पारिश्रमिक आधारित मानव बल/ पौधा संरक्षण कर्मियों हेतु फसल रक्षक (पदनाम-कामदार) की रिक्ति के विरुद्ध दैनिक मजदूरी पर रखा जाना है।

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

अभ्यर्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं।

1. सामान्य विवरण :-

क्र०सं०	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
1	फसल रक्षक (कामदार)	मासिक मानदेय/ पारिश्रमिक आधारित	चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक- दोनों में जो पहले हो, की अवधि तक ही कार्यरत रहेंगे।	रु०-11851/-

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय / पारिश्रमिक आधारित है एवं इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थानीयकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

2. रिक्तियों का कोटिवार विवरण :-

क्रम०	कोटिवार रिक्ति		कुल रिक्ति
1	(अनारक्षित) UR	04 (चार) पद	04
2	(अनुसूचित जनजाति) ST	03 (तीन) पद	03

नोट :-

- रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।
- पदों का कोटिवार विवरण सिमडेगा जिला हेतु आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

Handwritten signature

3. अनिवार्य योग्यता :-

(i) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक / माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण।

(ii) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है।

(iii) स्थानीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है।

(iv) साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता होनी चाहिए।

(v) अभ्यर्थी सिमडेगा जिला अन्तर्गत स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

5. उम्र सीमा :- न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी, जो विभिन्न श्रेणियों हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो।

नोट:- अधिक जानकारी हेतु सिमडेगा जिले के अधिकारिक वेबसाइट www.simdega.nic.in एवं अनुमण्डल-सह-जिला कृषि कार्यालय, सिमडेगा के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

Dr. 10/10/26
अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी,
सिमडेगा।



कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

झारखण्ड सरकार

कार्यालय / OFFICE

अनुमण्डल-सह- जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा, कार्यालय / OFFICE
SUBDIVISIONAL-CUM-DISTRICT AGRICULTURE OFFICER, SIMDEGA
EMAIL ID- simdegagriculture@gmail.com, simdegaagriculture@gmail.com



1- प्रस्तावना :-

राज्य में फसल सुरक्षा एवं पौधा संरक्षण संबंधी कार्यों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से फसल रक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर चयन किया जाना है।

इस विज्ञापन के माध्यम से सिमडेगा जिला के विभिन्न प्रखण्डों में स्थित पौधा संरक्षण केन्द्रों में कार्य करने हेतु कुल-07 फसल रक्षक का चयन मानदेय के आधार पर किया जाएगा। जिसका विवरणी निम्नवत् है :-

- पौधा संरक्षण केन्द्र, सिमडेगा (सदर)।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, कुरडेग।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, बोलबा।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, ठेठईटांगर।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, जलडेगा।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, कोलेबिरा।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, बानो।

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला-स्तरीय आरक्षण तथा इस विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के आधीन सम्पन्न होगी। अभ्यर्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं।

2- सामान्य विवरण :-

क्र०सं०	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
1	फसल रक्षक (कामदार)	मासिक मानदेय/ पारिश्रमिक आधारित	चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक- दोनों में जो पहले हो, की अवधि तक ही कार्यरत रहेंगे।	रु०-11851/-

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय / पारिश्रमिक आधारित है एवं इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3- रिक्तियों का कोटिवार विवरण :-

क्रम०	कोटिवार रिक्ति		कुल रिक्ति
1	(अनारक्षित) UR	04 (चार) पद	04
2	(अनुसूचित जनजाति) ST	03 (तीन) पद	03

नोट:-

1. रिक्तियों की संख्या कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आवश्यकतानुसार एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।
2. पदों का कोटिवार विवरण सिमडेगा जिला हेतु लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

4- अनिवार्य योग्यता :-

- i) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक / माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण।
- ii) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य होगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम 05 (पाँच) दिवसीय से अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को तदनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
- iii) स्थानीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है।
- iv) साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में दक्षता होना है।
- v) सिमडेगा जिला का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।

5- फसल रक्षक का कार्य :- फसल सर्वेक्षक, कीटनाशकों का छिड़काव, कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ कार्यालय द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।

6- आयु सीमा :- (दिनांक-01.01.2026 के आधार पर)

- i) मैट्रिक अंक पत्र / प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही आयु निर्धारण हेतु स्वीकार्य होगा। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।
- ii) न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो विभिन्न श्रेणियों हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो।

7- चयन प्रक्रिया एवं अंक विभाजन :-

- i) प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी।
- ii) ऐसे आवेदन, जिनमें आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं है, आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं होती है, अथवा जिनमें गलत/भ्रामक जानकारी दी गई है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। केवल वैध एवं पात्र आवेदन वाले अभ्यर्थियों का चयन हेतु अग्रेतर मूल्यांकन किया जाएगा, जो कुल 100 अंको के आधार पर किया जाएगा।

iii) अंको का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	चयन घटक	मेधा सूची हेतु योग्यता विवरण	अधिकतम अंक
1	शैक्षणिक योग्यता	मैट्रिक अंक पत्र में दर्ज प्रतिशत	10th का % X 0.6 = अधिकतम 60 अंक
2	प्रशिक्षण	न्यूनतम एक 05 दिवसीय प्रशिक्षण	(पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र हेतु = 08 अंक) (पाँच दिवसीय से अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र हेतु = 12 अंक) (केवल एक ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होगा)
3		(साईकिल चलाना एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना चाहिए)	Qualifying होगा
4		साक्षात्कार (सामान्य हिन्दी/ सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा संबंधी ज्ञान)	20 अंक
		कुल अंक	100 (एक सौ) अंक

नोट:- मेधा सूची निर्धारण में पाँच दिवसीय से कम के प्रशिक्षण की गणना नहीं की जायेगी।

7. चयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- CGPA/ ग्रेड होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित CONVERSION FORMULA के अनुसार प्रतिशत का निर्धारित किया जाएगा।
- एक ही स्तर की एक से अधिक डिग्री/ योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे।
- प्रशिक्षण अवधि की गणना प्रमाण-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित पूर्ण प्रशिक्षण दिवस के आधार पर की जायेगी।
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित कार्यालय द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की क्षमता / दक्षता :- फसल रक्षक के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थी का साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम / दक्ष होना आवश्यक होगा।
- अंतिम चयन से पूर्व चयनित / औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
- चरित्र प्रमाण-पत्र अंतिम रूप से चयनित / औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested copy) छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
 - मैट्रिक / 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र।
 - न्यूनतम 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।
 - 05 (पाँच) दिवसीय से अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध जाति प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो।
 - जन्म तिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक / 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
 - आधार कार्ड की छायाप्रति।

नोट:- आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन बाद में निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

8. मेधा सूची एवं समान अंक होने पर प्राथमिकता निर्धारण (Tie-Breaking) :-

- i) मैट्रिक में अधिक अंक / प्रतिशत।
- ii) अधिक आयु / उम्र।
- iii) Alphabetical नाम के आधार पर प्राथमिकता।

9. चयन एवं योगदान :-

कोटिवार मेधा सूची लागू आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची निर्धारित स्थल पर प्रकाशित की जायेगी। योगदान केवल सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल-सह जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा) द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर चयन / अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं रिक्ति को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

10. स्थानीय निवासी एवं आरक्षण :-

सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जाति / कोटि का सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. सामान्य शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. "आवेदन-पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम चयन से पूर्व मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।"
2. चयन प्रक्रिया सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा) द्वारा गठित चयन समिति की देख-रेख में सम्पन्न होगी।
3. किसी भी चरण पर अभ्यर्थी की पात्रता एवं प्रमाण-पत्रों की पुनः जाँच की जा सकती है।
4. गलत सूचना, तथ्य छिपाने अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र पाए जाने पर चयन के बाद भी संविदा समाप्त की जा सकती है एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
5. चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति का स्वतः एवं अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देगा।
6. नियमित नियुक्ति होने, स्वीकृत पद समाप्त होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता होने पर संविदा समाप्त की जा सकती है।
7. सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा) को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या, कार्यस्थल (पौधा संरक्षण केन्द्र / उपकेन्द्र) आवंटन अथवा चयन प्रक्रिया के किसी चरण में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. सक्षम प्राधिकार को अपरिहार्य / प्रशासनिक कारणों से विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. ऐसे परिवर्तन अथवा रद्दिकरण के आधार पर किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति अथवा क्षतिपूर्ति का दावा नहीं होगा।

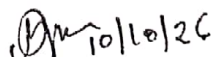
10. आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
11. चयन/परीक्षा/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अधिकारिक वेबसाइट www.simdega.nic.in में प्रकाशित की जाएगी।
12. अभ्यर्थी निर्धारित समय पर प्रकाशित सूचनाओं का आवलोकन करते रहें।
13. फसल रक्षक को विभाग / सक्षम प्राधिकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों का पालन करना होगा।
14. विहित आवेदन प्रपत्र दिनांक- 26-10-2026 की संध्या-05.00 बजे तक (निबंधित / स्पीड पोस्ट द्वारा) कार्यालय को प्राप्त होना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

12. आवेदन जमा करने का पता :-

1. आवेदक पूर्ण रूप से भरा आवेदन-पत्र हाथो-हाथ कार्यालय अवधि पूर्वाह्न-10.00 से संध्या-05.00 बजे तक जिला कृषि कार्यालय, सिमडेगा में जमा कर सकते हैं।

(निबंधित / स्पीड पोस्ट द्वारा)

पता:- अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा
संयुक्त जिला कृषि कार्यालय परिसर,
(नियर सदर अस्पताल, सिमडेगा)
पोस्ट- सिमडेगा,
जिला-सिमडेगा,
पिन-835223


अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी,
सिमडेगा।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

सिमडेगा जिला अंतर्गत फसल रक्षक (कामदार) के पद पर मानदेय के आधार पर चयन हेतु आवेदन-पत्र

विज्ञापन संख्या- /2026-27

आवेदित पद का नाम-

निर्देश :- अभ्यार्थी आवेदन-पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरें तथा विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें-

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी बड़े अक्षरों में).....
3. पिता/पति का नाम.....
4. लिंग (✓ का निशान करें) (पुरुष ☐) (महिला ☐) (अन्य ☐)
5. जन्म तिथि. / /
6. आयु (दि-01.01.2026 के आधार पर) वर्ष-.....माह.....दिन.....
7. आरक्षण कोटि-सामान्य.....अत्यंत पिछड़ा वर्ग.....पिछड़ा वर्ग.....
अनुसूचित जाति.....अनुसूचित जनजाति.....
8. राष्ट्रियता.....
9. क्या आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं (✓ का निशान करें) (हाँ ☐ / नहीं ☐)
10. स्थानीय प्रमाण-पत्र के अनुसार जिला का नाम.....
11. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रखण्ड का नाम.....
12. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)-

नवीनतम स्व-
अभिप्रमाणित पासपोर्ट
आकार का फोटो चिपकाये

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कुल प्राप्तांक का प्रतिशत
मैट्रिक (10वीं उत्तीर्ण)			
इंटरमीडिएट/10+2			
स्नातक			
प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र/अन्य योग्यता			

14. मैट्रिक में हिन्दी विषय के अंक (यदि लागू हो).....

(कुल अंक..... प्राप्त अंक.....)।

15. प्रशिक्षण का विवरण :-

क्या कृषि एवं उद्यान निदेशालय / विज्ञापन में निर्धारित संस्थान से न्यूनतम 05 दिवसीय / 05 दिवसीय से अधिक अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त है?

(✓ का निशान करें) (हाँ ☐) (नहीं ☐)

क्रम सं०	प्रशिक्षण का विवरण	अवधि (पूर्ण दिवस)	प्रशिक्षण संस्था	प्रमाण-पत्र संख्या / दिनांक
1	अनिवार्य प्रशिक्षण (05 पाँच दिवसीय)			
2	प्रशिक्षण (05 पाँच दिवसीय से अधिक अवधि)			
3	अन्य प्रशिक्षण यदि कोई हो			

16. अन्य आवश्यक जानकारी :-

1. क्या आप साईकिल चलाने में सक्षम है (✓ का निशान करें)- हाँ ☐ नहीं ☐

2. क्या आप पेड़ पर चढ़ने में सक्षम है (✓ का निशान करें)- हाँ ☐ नहीं ☐

17. आवेदक का आधार संख्या.....

18. आवेदक का मोबाईल संख्या.....

19. ई मेल (यदि उपलब्ध हो).....

20. आवेदक का स्थायी पता.....

21. आवेदक का पत्राचार का पता.....

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न)-

1. मैट्रिक / 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
2. न्यूनतम 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।
3. 05 (पाँच) दिवसीय से अधिक अवधि का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।
4. अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।
5. अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
6. पहचान पत्र / आधार कार्ड की छायाप्रति।
7. अन्य, यदि कोई हो.....

नोट:- चरित्र / आचरण प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं है। परन्तु अंतिम चयन/ दस्तावेज सत्यापन/योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जैसा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

23. घोषणा :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/दस्तावेज वास्तविक एवं वैध है। यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाली पाई जाती है अथवा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र फर्जी/आमान्य पाया जाता है तो मेरी अभ्यर्थिता/चयन/संविदा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार समाप्त की जा सकती है।

मैं फसल रक्षक पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तें एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया प्रावधानों एवं शर्तों को स्वीकार करता/करती है।

स्थान —.....

दिनांक:-.....

आवेदक का हस्ताक्षर